# कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान
# जयपुर

क्रमांक फा. 8(45)सविरा / ऑडिट / एम्पैनलमेन्ट / 2015–18 दिनांक 30/03/2017

## :: विज्ञप्ति ::

सहकारी सोसायटियों के सांविधिक (Statutory) लेखा परीक्षण हेतु वर्ष 2015–18 (दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018 तक) के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट / चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म का पैनल अधिसूचित कर विभागीय वेबसाईट www.rajcooperatives.nic.in पर प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिसूचित पैनल में अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट / चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के नाम जोडे जाने है। पैनल में पंजीयन हेतु ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट / चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म पात्र है, जो चार्टेर्ड एकाउटेन्ट अधिनियम 1949 में यथापरिभाषित चार्टर्ड एकाउन्टेंट या चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म हो और उसे अर्हता पश्चात् लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

अतः उक्तानुसार योग्यताधारी एवं इच्छुक चार्टर्ड एकाउटेन्ट एवं चार्टेड एकाउन्टेंट फर्म **दिनांक 20.04.2017 को सांय 5.00 बजे तक** निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, राजस्थान, नेहरू सहकार भवन, बाईस गोदाम सर्कल को प्रषित कर सकेंगे। **ऐसे चार्टेर्ड एकाउटेन्ट एवं चार्टेड एकाउन्टेंट फर्म पंजीयन दिनांक से दिनांक 31.03.2018 तक ही पंजीकृत एवं सूचीबद्ध रहेगें।**

आवेदन पत्र से सम्बन्धित समस्त जानकारी विभागीय वेबसाईट http://www.rajcooperatives.nic.in पर उपलब्ध है।

(राम निवास)
रजिस्ट्रार

# कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान
# जयपुर

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की यथा–संशोधित धारा–54(4) के तहत तैयार किये जाने वाले पैनल ने चार्टर्ड अकाउण्टेंन्ट्स तथा लेखा परीक्षा फर्मों के नाम पंजीकृत कराने हेतु आवेदन–पत्र

1(अ). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का नाम (हिन्दी में)

1(ब). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का नाम (अंग्रेजी में)

2. चार्टर्ड अकाउण्टेंट या लेखा परीक्षा का भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा प्रदत्त नवीनतम पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :–

पंजीयन क्रमांक

पंजीयन दिनांक D D M M Y Y Y Y

(नोट पैनल में **पंजीयन** हेतु भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान में चार्टर्ड अकाउण्टेंट या लेखापरीक्षा **फर्म** का **पंजीयन** दिनांक 01.04.2014 से **पूर्व** का होना अनिवार्य है।)

3(अ). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का पता (हिन्दी में)

पिन कोड

3(ब). आवेदक चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स या लेखा परीक्षा फर्म का पता (अंग्रेजी में)

पिन कोड

| | | |
|---|---|---|
| 3(स). दूरभाष नम्बर (मय कोड) | | आफिस |
| 3(द). दूरभाष नम्बर (मय कोड) | | आफिस |
| 3(य). दूरभाष नम्बर (मय कोड) | | फैक्स |
| 3(र). दूरभाष नम्बर (मय कोड) | | मोबाईल |
| 3(ल). दूरभाष नम्बर (मय कोड) | | मोबाईल |
| 3(व). ई–मेल. आई.डी. | | |

4. आवेदक का प्रकार : (क) चार्टर्ड अकाउण्टेंट (व्यक्तिगत)

(ख) चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म

i. प्रोपराईटरशिप

ii. पार्टनरशिप

5. यदि चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म पार्टनरशिप फर्म है तो भागीदारों के नाम एवं कार्यरत सभी चार्टर्ड अकाउण्टेंटों के भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा प्रदत्त सदस्यता क्रमांक एवं दिनांक –

| क्रमांक | नाम | सदस्यता क्रमांक | सदस्यता दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

(यदि फर्म में दस से अधिक भागीदार हो तथा यदि फर्म में कार्यरत चार्टर्ड अकाउण्टेंटों की संख्या दस से अधिक हो तो उनकी सूची पृथक से संलग्न करें।)

6. यदि फर्म आर.बी.आई. या नाबार्ड द्वारा गठित पैनल में पंजीबद्ध है तो पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक –

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (अ) | आर.बी.आई. पैनल का यूनिक कोड | | पंजीयन दिनांक | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
| (ब) | नाबार्ड पैनल का कोड | | पंजीयन दिनांक | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

7. अनुभव का क्षेत्र (निजी फर्म / राजकीय विभाग / अर्द्धशासकीय संस्थान / सहकारी क्षेत्र / अन्य) का विवरण संलग्न करें :–

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

8. चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म की राजस्थान राज्य में शाखाओं के पते मय दूरभाष नम्बर :–

| क्रमांक | नाम | दूरभाष नम्बर मय कोड |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

9. फर्म के पास स्थायी प्रशिक्षित मानव संसाधन का विवरण :–
(अ) सहायक (असिस्टेंट) का विवरण –

| क्रमांक | सहायक का नाम | शिक्षा | अनुभव अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |

(यदि फर्म में सात से अधिक "सहायक" कार्यरत हो तो उनकी सूची पृथक से संलग्न करें)

10. पंजीकरण शुल्क राशि रू. 2500.00 का विवरण :– (दिशा निर्देश का बिन्दू कमांक 7 देखें)

(अ) बैंक शाखा का नाम, जिसमें राज्यकोष के "0425–सहकारिता, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 002–विविध प्राप्तियाँ" मद में ऑन लाईन / चालान द्वारा राशि जमा कराई गई है :–

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(ब) राशि जमा की दिनांक

| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## घोषणा

मैं ................................................................................ पुत्र / पुत्री / / पत्नि श्री ..............................
................................................................................ निवासी ..............................................
..............................................................................................................................................
के पार्टनर / प्रोपराईटर के बतौर शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उक्त समस्त अंकित एवं संलग्न विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं "चार्टर्ड अकाउण्टेंट या चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के पंजीयन हेतु नियम एवं शर्तों" की पालना का वचन देता / देती हूँ।

स्थान :

दिनाक :

हस्ताक्षर

चार्टर्ड अकाउण्टेंट या चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के प्रोपराईटर / भागीदार का नाम व मुहर

## चार्टर्ड अकाउण्टेंट–लेखापरीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म के राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की यथा संशोधित धारा–54 के तहत पंजीयन हेतु नियम एवं शर्तें

1. लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म पर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के समस्त यथा–संशोधित प्रावधान लागू होगें।

2. लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म किसी भी सोसायटी में लगातार दो वर्ष से अधिक के लिये लेखाओं की लेखा परीक्षा नहीं करेगा।

3. लेखापरीक्षा या यथास्थिति लेखापरीक्षा फर्म नियुक्ति आदेश में वर्णित तिथि तक लेखापरीक्षा पूर्ण करेगी तथा अधिनियम की धारा 54(10) के प्रावधानों के अनुसार सहकारी सोसाइटियों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट रजिस्ट्रार द्वारा विहित प्रारूप में तैयार करेगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट सोसायटी को और रजिस्ट्रार को भी प्रस्तुत करेगी।

   अरबन को–ऑपरेटिव बैंक/नागरिक सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा–54(10) व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम–73(9) के तहत विनिर्दिष्ट प्रारूप में सोसायटी को प्रस्तुत की जावेगी तथा अरबन को–ऑपरेटिव/नागरिक सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं पर भी स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जावेगी –

   (i) क्या बैंक से चाही गई एवं प्राप्त सूचनाऐं तथा स्पष्टीकरण पर्याप्त एवं संतोषजनक है?
   (ii) क्या अभिज्ञान में आए समस्त वित्तीय संव्यवहार बैंक की अनुमत शक्तियों के अध्यधीन है?
   (iii) क्या बैंक की शाखा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ पर्याप्त तथा लेखा परीक्षा के उद्धेश्य को पूरा करती है?
   (iv) क्या लेखा परीक्षा अवधि का लाभ–हानि खाता उस अवधि की लाभ या हानि के सही अधिशेष को दर्शाता है?
   (v) लेखा परीक्षक की राय में ऐसे समस्त प्रकरणों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी अंकित की जावें, जिन्हें बैंक के हिस्साधारकों के अभिज्ञान में लाया जाना चाहिए।

4. सोसाइटी द्वारा नियुक्त किये जाने की स्थिति में लेखा परीक्षा का खर्चा (Cost of Audit) संबंधित सोसायटी द्वारा निर्धारित एवं संदत्त किया जावेगा। परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किये जाने पर लेखापरीक्षा फीस राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

5. लघु अवधि सहकारी साख संरचना सोसायटी वर्ग की शीर्ष सहकारी बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप (एल.एफ.ए.आर.) तथा रजिस्ट्रार द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की यथा–संशोधित धारा–54(10) व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम–73(9) के तहत विनिर्दिष्ट प्रारूप में सोसायटी, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक तथा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जावेगी।

6. राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा–54(4) के तहत गठित किये जाने वाले पैनल में चार्टर्ड अकाउण्टेंट–लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षा फर्म के नाम पंजीयन के आधार पर सहकारी सोसायटियों के वैद्यानिक लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने का

अधिकार नहीं होगा। लेखा परीक्षक नियुक्ति संबंधी अधिनियमान्तर्गत प्रदत्त अधिकार सक्षम निकाय या यथा स्थिति रजिस्ट्रार में सुरक्षित हैं।

7. पंजीकृत चार्टर्ड अकाउण्टेंट–लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षा फर्म राजस्थान राज्य में अधिनियमान्तर्गत वैद्यानिक लेखा परीक्षा का कार्य संपादित कर सकेगी।

8. वे चार्टर्ड अकाउण्टेंट–लेखा परीक्षक तथा लेखा परीक्षा फर्म, जिन्हें सोसायटी के अधिनियमान्तर्गत वैद्यानिक लेखा परीक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है, उन्हें पत्र प्राप्ति से सात दिवस में अपनी नियुक्ति संबंधी सूचना विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

9. लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत संस्था के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 73(7) से 73(12) द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया के तहत टिप्पणी की जावेगी।

10. यदि पैनल की पंजीयन अवधि में सक्षम अधिकारी को यह ज्ञात होता है कि लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कार्य में नियम व प्रक्रिया विरूद्ध आचरण को छुपाया है तथा सोसायटी के क्रियाकलापों, अनियमितता, गबन, कपटपूर्ण आचरण को छुपाया है या छुपाने में सहायक रहा है तो उस लेखा परीक्षक का नाम संबधित पैनल से हटाते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी।

11. राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा–54 में तथा इसके अनुक्रम में राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के संबंधित नियम–73 में जो भी परिर्वतन होते है, उनकी पालना की जावेगी।

12. पैनल में पंजीयन हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा–54 की उपधारा–(5)(क) (i) तथा (5) (ख) में यथा परिभाषित ऐसे लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षा फर्म पात्र है, जो चार्टर्ड एकाउटेन्ट अधिनियम 1949 में यथा परिभाषित चार्टर्ड एकाउन्टेंट या चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म हो तथा ओर उसे अर्हता पश्चात् लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

मैं उक्त बिन्दु 1 से 12 तक अंकित नियम एवं शर्तो की पालना का वचन देता/देती हूँ।

स्थान :—————

दिनांक :..........................

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम व पता

# आवेदन पत्र को पूर्ण किये जाने हेतु दिशा–निर्देश

1. बिन्दु संख्या 1 से 3 में अंकित की जाने वाली जानकारी के प्रत्येक शब्द के बाद एक खाना (बॉक्स) खाली छोड़ा जावें।
2. बिन्दु संख्या 1 से 3 में विवरण भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा जारी फर्म के पंजीयन प्रमाण–पत्र के अनुरूप अंकित किया जावे।
3. दूरभाष संख्या (बैसिक) में स्थानीय कोड अवश्य अंकित किया जावे।
4. फर्म के प्रकार में जो सही हो उसके सामने अंकित खाने (बॉक्स) में सही (राईट) का निशान अंकित करें।
5. यदि आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 5 में पूर्ण जानकारी अंकित करना संभव नहीं हो तो समप्रारूप में पृथक से जानकारी संलग्न करें।
6. बिन्दु संख्या 6 भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा नवीनतम जारी प्रमाणक के अनुसार सूचना अंकित की जावें।
7. पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए राजस्थान सरकार के पोर्टल e-gras के माध्यम से ई–चालान भरकर भुगतान ऑन–लाईन अथवा बैंक में जमा कराया जा सकता है।

   राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा–54(4) के अन्तर्गत बनाए जाने वाले चार्टर्ड अकाउण्टेंटों के पैनल में नाम पंजीकृत कराने हेतु "पंजीकरण शुल्क का विवरण निम्न प्रकार है –

   पंजीकरण शुल्क राशि – रू. 2500.00

   उक्त राशि को राज्यकोष के निम्न मद में जमा कराया जावे –

   0425–सहकारिता

   800–अन्य प्राप्तियाँ

   002–विविध प्राप्तियाँ
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :–
   1. चार्टर्ड अकाउण्टेंट या लेखा परीक्षा फर्म के प्रोपराईटर/समस्त भागीदारों के भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा जारी "सर्टिफिकेट ऑफ प्रेक्ट्रिस" एवं "सर्टिफिकेट ऑफ मैम्बरशिप" (स्वप्रमाणित मय दिनांक)।
   2. लेखा परीक्षा फर्म का भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का नवीनतम प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित मय दिनांक)।
   3. पंजीकरण शुल्क राशि रू. 2500.00 के चालान की प्रति।
   4. यदि फर्म भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के पैनल में पंजीकृत है तो पंजीकरण क्रमांक एवं दिनांक का प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित मय दिनांक)।
   5. चार्टर्ड अकाउण्टेंट–लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म के पंजीयन हेतु नियम एवं शर्तो की सहमति स्वरूप प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर सहित हस्ताक्षर।